## सेवारत अभ्यर्थियों के लिये

1. पीएच0डी0 पाठ्यक्रम हेतु प्रदेश के सभी कृषि विश्वविद्यालयों क्रमशः चन्द्रशेखर आजाद कृषि एव पोद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर, आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, अयोध्या, सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ, बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, बांदा एवं महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुशीनगर में नियमित रूप से कार्यरत कर्मचारी अर्ह होगें।
2. पीएच0डी0 पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु सेवारत् अभ्यर्थियों के लिए प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होना अनिवार्य होगा।
3. पीएच0डी0 पाठ्यक्रम हेतु न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता पृष्ठ संख्या 19 से 21 के अनुसार मान्य होगी।
4. सेवारत अभ्यर्थियों को संयुक्त मेरिट एव अभ्यर्थी के प्राथमिकता के आधार पर सीट आवंटित की जायेगी।
5. सेवारत अभ्यर्थियों के लिए अतिरिक्त सीट आरक्षित नहीं होगी। अन्य अभ्यर्थियों की भांति आरक्षण तथा अर्हता मान्य होगी।
6. सेवारत अभ्यर्थियों को अध्ययन अवकाश संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत होना अनिवार्य होगा। आवंटित विश्वविद्यालय में प्रवेश/रिपोर्टिंग के समय अध्ययन अवकाश स्वीकृति संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा अन्यथा प्रवेश निरस्त माना जायेगा।
7. सेवारत अभ्यर्थी विश्वविद्यालय द्वारा तथा अन्य संस्था द्वारा स्कालरशिप/फेलोशिप नहीं ले सकेगा।

## आरक्षण (Reservation)

**पाठ्यक्रम की कुल सीटों पर निम्नवत् आरक्षण प्रदान किया जायेगा।**

| क्र.सं. | लम्बवत् आरक्षण (मुख्य श्रेणी) | | क्र.सं. | क्षैतिज आरक्षण (उप श्रेणी) | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | प्रत्येक मुख्य श्रेणी में निम्नलिखित उप श्रेणी को निम्नवत् आरक्षण देय होगा | |
| 1. | अनुसूचित जाति (SC) | 21% | 1. | स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के बच्चे (FF) | 2% |
| 2. | अनुसूचित जनजाति (ST) | 2% | 2. | दिव्यांगजन (PWD)* | 5% |
| 3. | अन्य पिछड़ा वर्ग(OBC) | 27% | 3. | सैन्य कर्मचारी के पुत्र/पुत्री (DP) | 1% |
| 4. | अनारक्षित(UR) | 40% | 4. | कानपुर, मेरठ, अयोध्या, बाँदा, एवं कुशीनगर कषि विश्वविद्यालयों के नियमित कर्मचारियों के पुत्र/पुत्री/पति/पत्नी (UE) {केवल स्नातक पाठ्यक्रमों में बी0वी0एससी0 एण्ड ए0एच0 पाठ्यक्रमको छोड़कर} | 10% |
| 5. | आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) | 10% | | कानपुर, मेरठ, अयोध्या एवं बाँदा कृषि विश्वविद्यालयों के नियमित कर्मचारियों के पुत्र/पुत्री/पति/पत्नी(UE)को बी0वी0एससी0 एण्ड ए0एच0 पाठ्यक्रम हेतु | 2.5% |

**नोटः** यूपीकैटेट–2024 प्रवेश परीक्षा हेतु आरक्षण राज्य सरकार के प्रभावी नियमों के अनुसार दिया जायेगा।

* Admission shall not be allowed if a candidate suffers disabilities in physical fitness as listed below:

a) Disability of total body including disability of chest/spine more than 50%.
b) Disability of lower limb of more than 50%,

c) Disability of upper limb,
d) Visually handicapped candidates
e) Disability of hearing
f) Candidates with progressive diseases like myopathies, etc.
g) Disabilities which otherwise would interfere in the performance of the duties of a veterinarian.

The disability should be certified by a duly constituted and authorized Medical Board comprising of atleast three-specialists out of which two should be of the specialty concerned and the candidate has to present him/herself before the Medical Board.

**आरक्षित श्रेणी योग्य अभ्यर्थियों के सीटों के सम्बन्ध में निम्नलिखित नियमों का पालन किया जायेगाः–**

(i) आरक्षण के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन के नियम मान्य होंगे।

(ii) उत्तर प्रदेश शासन के आदेशानुसार आरक्षण प्रतिशत एवं तत्सम्बन्धी नियमों में परिवर्तन का अधिकार विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित है।

(iii) सभी पाठ्यक्रमों में लम्बवत आरक्षण (मुख्य श्रेणी) एवं क्षैतिज आरक्षण FF, PWD, DP एवं UE (उप श्रेणी) प्रदान किया जायेगा।

(iv) आवेदन पत्र संशोधन तिथि के पश्चात् किसी भी अभ्यर्थी की श्रेणी में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

(v) विभिन्न आरक्षित श्रेणी की सीटों के सापेक्ष आवेदन करने वाले जितने अभ्यर्थी सामान्य (अनारक्षित) सीटों के अभ्यर्थियों के समकक्ष मेरिट में स्थान प्राप्त कर लेते हैं उन सभी को सामान्य (अनारक्षित) सीटों के सापेक्ष प्रवेशित माना जाएगा भले ही उनके द्वारा आयु सीमा आदि में छूट का लाभ लिया गया हो।

(vi) काउन्सलिंग तथा प्रवेश के समय आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को निर्धारित प्रारूप पर उत्तर प्रदेश शासन के नवीनतम् शासनादेश के अनुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(vii) अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के जाति प्रमाण पत्र शासनादेश के अनुरूप निर्धारित नवीनतम प्रारूप पर प्रमाण पत्र–2 (पृष्ठ सं0 67) पर है। अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के अभ्यर्थियों को क्रीमीलेयर में न आने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा और यदि ऐसे अभ्यर्थी जो **वित्तीय वर्ष 2023–24 अथवा नवीनतम** वाँछित प्रमाण पत्र प्रस्तुत नही करते हैं तो उन्हें सामान्य श्रेणी का अभ्यर्थी माना जायेगा।

(viii) अनुसूचित जाति (SC) तथा अनुसूचित जनजाति (ST) के जाति प्रमाण पत्र का निर्धारित प्रारूप पमाण पत्र–3 (पृष्ठ सं0 68) पर है।

(ix) सैन्य कर्मचारी (DP) (युद्ध में अपंग/सेवानिवृत्त/शहीद)के पुत्र/पुत्रियों को अपने दावे के समर्थन में निर्धारित प्रारूप के प्रमाण पत्र–4 (पृष्ठ सं0 68) पर ही प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(x) दिव्यांगजन (PWD) का प्रमाण पत्र–5 (पृष्ठ संख्या 69) पर ह।

(xi) स्वतंत्रता संग्राम सेनानी (FF) के आश्रितों के द्वारा अपने दावे के समर्थन में निर्धारित प्रारूप के प्रमाण पत्र–6 (पृष्ठ सं0 69) पर ही प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(xii) खेल प्रमाण पत्र (Sports Certificate) का निर्धारित प्रारूप प्रमाण पत्र–7 (पृष्ठ संख्या 70) पर है, के अनुसार प्रस्तुत करना होगा।

(xiii) आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो (EWS)के अभ्यर्थियों को निर्धारित प्रारूप प्रमाण पत्र–8 (पृष्ठ सं0 71) पर है, के अनुसार प्रस्तुत करना होगा।यदि ऐसे अभ्यर्थी जो काउन्सलिंग के समय **वित्तीय वर्ष 2023–24 अथवा नवीनतम** वाँछित प्रमाण पत्र प्रस्तुत नही करते हैं तो उन्हें सामान्य श्रेणी का अभ्यर्थी माना जायेगा।

(xiv) प्रदेश के पांचो कृषि विश्वविद्यालय क्रमशः चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर; आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, अयोध्या, सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ, बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, बांदा एवं महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुशीनगर में नियमित रूप से कार्यरत कर्मचारी के पुत्र/पुत्री/पति/पत्नी (UE) की श्रेणी में आवेदन करता है तो उसे **सम्बंधित विश्वविद्यालय के कुलसचिव से आवेदन पत्र पर प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।** विश्वविद्यालय के किसी अन्य अधिकारी द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र मान्य नही होगा। ऐसे अभ्यर्थियों को निर्धारित प्रारूप प्रमाण पत्र–9 (पृष्ठ सं0 72) पर है, के अनुसार प्रस्तुत करना होगा।

(xv) पांचो कृषि विश्वविद्यालयों के कर्मचारी के पुत्र/पुत्री/पति/पत्नी को UE कोटे के अन्तर्गत प्रवेश पाने वाले अभ्यर्थी को संयुक्त मैरिट एवं अभ्यर्थी की प्राथमिकता के अनुसार प्रवेश दिया जायेगा।

(xvi) एक शैक्षणिक सत्र में विश्वविद्यालय कर्मचारी के मात्र एक पुत्र/पुत्री/पति/पत्नी को ही स्टाफ कोटे (UE)के अन्तर्गत प्रवेश दिया जायेगा।

(xvii) उत्तर प्रदेश के मूल निवासी प्रमाण पत्र शासनादेश के अनुरूप निर्धारित नवीनतम प्रारूप प्रमाण पत्र–1 (पृष्ठ संख्या 67) पर है।

(xviii) अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के अभाव में इनकी सीटें अनुसूचित जाति में स्थानान्तरणीय होगीं। यदि इसके उपरान्त भी सीटें रिक्त रह जाती हैं तो ऐसी दशा में इन सीटों को सामान्य मेरिट सूची के आधार पर ही भरा जायेगा।

(xix) सभी पाठयक्रमों में निर्धारित उपश्रेणी अभ्यर्थियों के अभाव में इनकी सीटें मुख्य श्रेणी (Main Category) में स्थानान्तरणीय होगी।

**नोटः–**

1. यदि अभ्यर्थी का किसी भी पाठ्यक्रम में किसी भी कारण से गलत प्रवेश हो जाता है/ले लेता है तो किसी भी स्तर पर प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।
2. परीक्षा आयोजन के दौरान एवं काउन्सलिंग के समय यदि कोई ऐसी समस्या आती है, जिसके निदान के सम्बन्ध में नियमों म कोई व्यवस्था नही है, तो ऐसे प्रकरणों पर निर्णय आयोजक विश्वविद्यालय के कुलपति की अध्यक्षता मे सभी कृषि विश्वविद्यालयों के कुलसचिवों की समिति में निहित होगा। प्रवेश के मामलों से सम्बन्धित अन्तिम निर्णय का अधिकार भी संयुक्त प्रवेश परीक्षा कराने वाले विश्वविद्यालय के कुलपति की अध्यक्षता में पांचो कृषि विश्वविद्यालयों क कुलसचिवों की समिति में निहित है।
3. यदि कोई अभ्यर्थी अपने आवेदन–पत्र में गलत सूचना देता है तो उसका आवेदन–पत्र निरस्त कर दिया जायेगा और यदि कोई अभ्यर्थी गलत सूचना के आधार पर प्रवेश पा जाता है तो पता लगने पर उसका प्रवेश/उपाधि निरस्त कर दिया जायेगा जिसके लिए वह स्वयं उत्तरदायी होगा।